



## सार्वजनिक सुनवाई के लिए सार्वजनिक सूचना

**मसौदा दिल्ली विद्युत विनियम आयोग बिज़निस प्लान विनियम, 2017 तथा विभिन्न युटिलिटीज द्वारा दायर टैरिफ याचिकाएँ**

- 1) आयोग ने अपनी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से हितधारकों से निम्नलिखित सुझाव/टिप्पणियां मांगी थी:
  - क) डीईआरसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई और प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से वित वर्ष 2014-15 और वित वर्ष 2015-16 की टैरिफ याचिकाओं और एआरआर 2017-18 के सत्यापन के लिए सुझाव / टिप्पणियों मांगी गई है जिसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि 27/06/17 है।
  - ख) डीईआरसी वेबसाइट पर अपलोड की गई और प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मसौदा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिज़निस प्लान विनियम, 2017 के लिए सुझाव / टिप्पणियों मांगी गई है जिसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि 29/06/2017 है।
- 2) मसौदा बिज़निस प्लान विनियम, 2017 तथा टैरिफ याचिकाएँ आयोग की वेबसाइट [www.derc.gov.in](http://www.derc.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3) आयोग ने मसौदा बिज़निस प्लान विनियम, 2017 और जनरेशन कंपनियों और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की टैरिफ याचिकाएं के लिये जन सुनवाई 4 जुलाई 2017 को और वितरण लाइसेंसधारी की टैरिफ याचिकाएं के लिये जन सुनवाई 5 जुलाई 2017 को निम्नलिखित स्थान पर करने का निर्णय लिया है:

दिनांक	स्थल	समय
04.07.2017 (मंगलवार) और	स्कोप कन्वेंशन सेंटर के सभागार, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	10:30 AM से 1:30 PM 2:30 PM से 5:00 PM
05.07.2017 (बुधवार)		

\* सुनवाई का आयोजन पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

\* सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने साथ अपना फोटो आईकार्ड अवश्य लायें।

\* एंट्री समय सुबह ठीक 10:00 बजे से रहेगा।

4) उपरोक्त के बावजूद आयोग ने, हितधारकों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए उनके अनुरोध पर मसौदा डीईआरसी बिज़निस प्लान विनियम, 2017 और टैरिफ याचिकाओं के संबंध में हितधारकों से आपत्तियों/ टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/07/2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

5) स्पष्टीकरण जापन डीईआरसी की वेबसाइट पर 27/06/2017 से उपलब्ध होगा, ताकि मसौदा डीईआरसी बिज़निस प्लान, 2017 के अभिप्राय और उद्देश्य को समझा जा सके।